

प्रेम्बर,

श्री जगदीश गाँधी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समूहाय केन्द्र
प्रतिष्ठान नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या/दिनांक: 21 जनवरी, 1998

विषय:- बाबू बीध राज कान्हेन्द रेलवे रोड तिकन्दराबाद कुन्दगढ़ को सी०बी०एन० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

संदर्भ,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कबने का निदेश हुआ है कि बाबू बीध राज कान्हेन्द रेलवे रोड तिकन्दराबाद कुन्दगढ़ को सी०बी०एन० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अभाव में अनापत्ति नहीं है :-

- 11। विद्यालय की पंजीकृत सौदागरी का सम्यक् तन्त्र पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 12। विद्यालय की पुस्तक सन्निधि में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 13। विद्यालय में कम से कम दस पुस्तकालय स्थापित जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 15। संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान को मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से केतिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कीर्तित फार दि अम्पन स्कूल सी०बी०एन० इन्वार्सिमेन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 15। संस्था केविक एवं विभिन्नत कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 16। कर्मचारियों की सेवा जहाँ कनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनापत्ति-कीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे।

- 171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

111 विद्यालय की भूमि अवन 2 वर्ष के भीतर शासनादेश दिनांक 30-11-91 की व्यवस्थानुसार निजी स्वामित्व में कर लिया जायेगा तथा मान्य अभिनेताओं सहित शासन को अवगत कराया जायेगा ।

121 विद्यालय की वेंचूर अवस्था शासनादेश दिनांक 30-11-91 के व्यवस्थानुसार है तथा देवस्थ अन्य विद्यालयों से प्रतिस्पर्धा न होगी ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है जकात पालन करने में किसी प्रकार की युक्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनः जनापरित प्रमाण बन वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

1
 राजीव गांधी
 संघ संचिव ।

पुं सं 5195111/15-7-1997 तददिनांक
 =====

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचारु रूप से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- भवदीय संघ संघ शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, कुल्लुआ ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय उद्योग लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, बाबू बीध राज कान्हेन्द्र रेनवे रोड सिन्दुराबाद कुल्लुआ ।

आज्ञा से,

S. S. S.
 राजीव गांधी
 संघ संचिव ।